

## Order sheet [Contd]

case No.B.A.-414/17

	Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleadings where necessary
30-11-17	<p>पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से प्रकरण मेरे समक्ष प्रस्तुत।  आवेदक सोनू राय द्वारा श्री आर.सी. गुप्ता अधि० उपस्थित।  राज्य द्वारा श्री बी.एस. बघेल अतिरिक्त अपर लोक अभियोजक उपस्थित।  न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद (श्री ए.के. गुप्ता) के मूल अपराधिक प्रकरण क्रमांक 625/17 शा०पु० गोहद बनाम सोनू का मूल अभिलेख प्राप्त।</p> <p>आवेदक के जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 439 दं०प्र०सं० के साथ आवेदक सोनू राय के ताऊ बलराम के द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है। आवेदन एवं शपथपत्र में व्यक्त किया गया है कि यह आवेदक का प्रथम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 439 दं०प्र०सं० का है। इस प्रकृति का अन्य कोई आवेदन इस न्यायालय, समक्ष न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष न तो प्रस्तुत किया गया है और न ही निरस्त हुआ है।</p> <p>आवेदक के जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 439 दं०प्र०सं० पर उभयपक्ष के तर्क सुने गये।</p> <p>आवेदक की ओर से व्यक्त किया गया है कि प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण होकर चालान न्यायालय जे.एम.एफ.सी. गोहद में प्रस्तुत किया जा चुका है। आवेदक अपने वृद्ध माता पिता का सहारा है व घर में युवा होकर जिम्मेदारी के साथ दुकानदारी का कार्य करता है। आवेदक के द्वारा उक्त तथा कथाकथित धाराओं के अधीन कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। उक्त अपराध मृत्युदण्ड व अजीवन कारावास से दण्डनीय नहीं है। आवेदक दिनांक 09.11.17 से न्यायिक अभिरक्षा में है। उक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गयी है।</p> <p>राज्य की ओर से जमानत आवेदन का विरोध किया गया है और जमानत आवेदन निरस्त किये जाने पर बल दिया गया है।</p> <p>उभयपक्ष को सुने जाने तथा विचारण न्यायालय के मूल प्रकरण क्रमांक आर.सी.टी./1994/17 उनवान राज्य द्वारा पुलिस आरक्षी केन्द्र गोहद बनाम सोनू राय के मूल अभिलेख का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि अभियोजन के अनुसार दिनांक 14 एवं 15.03.17 की मध्य रात्रि में फरियादी दिनेश कुशवाह के मकान स्थित सती बजार बार्ड नंबर 15 से पांच मोबाइल श्री जी, पांच मोबाइल सादा एवं याकूब मशीन मोबाइल चैक करने वाली कीमती कुल 16,000/-रुपए की चोरी हो गई थी। जिसकी रिपोर्ट फरियादी द्वारा थाना गोहद में की गई। दौरान अनुसंधान आवेदक/अभियुक्त सोनू राय के आधिपत्य से याकूब मशीन सफेद रंग की, एक केबल काले रंग की कीमती लगभग 1,200/-रुपए जप्त की गई। अपराध न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय है। प्रकरण के विचारण में लगने वाले समय से इन्कार नहीं किया जा सकता है। आवेदक को फार्मल गिरफ्तार किया गया है।</p>	

	Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	<p>अभिलेख में आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास संलग्न नहीं है। अभियोजन की ओर से भी ऐसा व्यक्ति नहीं किया गया है कि आवेदक सोनू राय का कोई आपराधिक इतिहास है या उसके विरुद्ध अन्य आपराधिक प्रकरण हैं।</p> <p>इन संपूर्ण परिस्थितियों, तथ्यों तथा अपराध की प्रकृति एवं उसके स्वरूप को देखते हुए तथा आवेदक का 23 दिवस से निरोध में होना देखते हुए आवेदक को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। फलस्वरूप उसका जमानत आवेदन स्वीकार किया गया।</p> <p>अतः आदेशित किया जाता है कि यदि आवेदक/अभियुक्त सोनू राय की ओर से संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद की संतुष्टि योग्य 20,000/-रुपये की सक्षम जमानत एवं इतनी ही राशि का व्यक्तिगत बंध पत्र प्रस्तुत किया जावे तो उसे निम्न शर्तों पर जमानत पर रिहा किया जावे:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. आवेदक विचारण न्यायालय में दी गई नियत तारीख पेशी पर उपस्थित होता रहेगा।</li> <li>2. अभियोजन साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेगी और न ही साक्षियों को कोई प्रलोभन उत्प्रेरण या धमकी देगा।</li> <li>3. फरार नहीं होगा।</li> <li>4. विचारण में सहयोग करेगा।</li> <li>5. विचारण के दौरान आवेदक समान अपराध कारित नहीं करेगा।</li> </ol> <p><b>यदि उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन किया जाता है कि तो यह जमानत आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा।</b></p> <p>आदेश की प्रति संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट की ओर पालनार्थ भेजी जावे। केसडायरी आदेश की प्रति के साथ वापस हो। प्रकरण का परिणाम अंकित कर प्रपत्र अभिलेखागार में भेजे जावें।</p> <p>(मोहम्मद अजहर) द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड</p>	